न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अति. जिला कलक्टर, बांसवाडा
प्रकरण संख्या : 04 / 2022
रजिस्ट्रेशन संख्या : 2022 / 48

प्रार्थी / अपीलार्थी :–

1. श्री राजु पिता फुलजी निवासी हमीरपुरा तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा
2. श्रीमती चम्पी पत्नी फुलजी निवासी हमीरपुरा तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्सः–

1. श्री लेमजी पिता भातु निवासी हमीरपुरा तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा
2. श्री सुकराम पिता भातु निवासी हमीरपुरा तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा
3. श्री सुका पिता भातु निवासी हमीरपुरा तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बागीदौरा जिला बॉसवाडा

उपस्थित

श्री जयेन्द्र कुमार पुरोहित एड्वोकेट

श्री नानालाल एड्वोकेट
श्री भगवत पुरी एड्वोकेट
श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरुद्ध आदेश क्रमांक / 2016 / 55–56 दिनांक 14.05.2016 न्यायालय, तहसीलदार बागीदौरा, जिला बॉसवाडा, अन्तर्गत धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकार अधिनियम, एवं नामान्तरकरण सं. 318 दिनांक 14.05.2016 के विरुद्ध अपील

दिनांक :– 10–02–2023

अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विरुद्ध आदेश क्रमांक / 2016 / 55–56 दिनांक 14.05.2016 न्यायालय, तहसीलदार बागीदौरा, जिला बॉसवाडा, अन्तर्गत धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकार अधिनियम, एवं नामान्तरकरण सं. 318 दिनांक 14.05.2016 के विरुद्ध अपील मय धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.02.14 11:45:34 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

इस प्रकरण के संक्षेप में बकौल अपीलांट तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट सं.1 से 3 के द्वारा तहसीलदार तहसील बागीदौरा के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम हमीरपुरा पटवार मण्डल बोडीगामा तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा (राज.) में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 133 नई, 115 पुरानी कुल खेत 10 कुल रकबा 4.05 हैक्टेयर कुल लगान 8.10 रुपया जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 के अनुसार खातेदार होकर जिसका पूर्ण विवरण बंटवारा प्रपत्र में अंकित होकर सभी सह खातेदारो ने आपसी रजामंदी से सयुक्त भूमि का मौके पर विभाजन कर दिया है एवं उसी तरह मौके पर काबिज है। अनुतोष में बंटवारा प्रपत्र अनुसार बंटवारा प्रमाणित करवाकर राजस्व अभिलेख में अलग अलग खातो में दर्ज किये जाने निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एक ही बयान प्रारुप में सभी खातेदारो के हस्ताक्षर करवाकर आदेश/ क्रमांक/ 2016/ 55–56 दिनांक 14.05.2016 को विभाजन स्वीकार कर दिया और उक्त विभाजन की अनुपालना में नामान्तरकरण सं. 318 दिनांक 14.05.2016 दर्ज किया गया। जिससे अपीलांट्स उक्त आदेश व नामान्तरकरण से अप्रसन्न, असन्तुष्ट एवं व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

यह अपील दर्ज कर रेस्पोडेंट्स को जरिये समन सूचित किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 12.09.2022 को रेस्पोडेंट सं. 1, 3 की ओर से श्री नानालाल अधिवक्ता, रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से श्री भगवत पुरी, श्री रवि पुरी, अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ।

दिनांक 03.02.2023 को उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। रेस्पोडेंटस् के अधिवक्तागणो ने धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट को प्रश्नगत बंटवारा आदेश की जानकारी होने के बावजुद यह अपील लगभग 6 वर्षो के पश्चात् की है। इस प्रकार अपील म्याद बाहर होने से खारिज करने निवेदन किया।

अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट अपने हिस्से की भूमि [illegible] वर्ष 2022 में चौमासे की फसल की बुआई की है। परन्तु रेस्पोडेंट सं. [illegible] से 3 ने मौके [illegible] आकर यह बताया कि यह खेत हमारे नाम है इसलिये इस बार हम खेती नही [illegible] देंगे। जिस पर अपीलांट द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.02.14 11:45:34 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,बांसवाड़ा

तहसील कार्यालय व पटवार हल्का से जानकारी प्राप्त करने पर दिनांक 26.07.2022 को ज्ञात हुआ कि बंटवारे के आदेश जारी होने से खाते अलग अलग दर्ज हो गये जिस पर अपीलांट को दिनांक 28.07.2022 को रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त होने पर यह अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर देरी के लिये विलम्ब माफी फरमावे।

प्रार्थना पत्र जहां तक म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। विलम्ब को क्षम्य करते हुए प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने मूल अपील पर बहस के दौरान अपील में प्रस्तुत तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने में किसी प्रकार से विधिक प्रक्रिया का अनुसरण नही किया है और न ही अपीलांट्स के द्वारा उक्त विभाजन के आवेदन एवं बंटवारा प्रपत्र पर किसी प्रकार से सहमति दी है। रेस्पोडेंट ने अवैध रुप से मनमर्जी से विभाजन प्रपत्र तैयार बंटवारा करवाया है। जबकि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट सं. 3 मूल पुरुष श्री भातु पिता भोदर के विधिक उत्तराधिकारी एवं वारिसान है। रेस्पोडेंट्स के द्वारा बंटवारा फहरिस्त जो तैयार किया गया, वह अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के कब्जे अनुसार तैयार नही कर गलत ढंग से तैयार किया गया है, जिसमें अपीलांट्स के हिस्से व कब्जे की भूमि को रेस्पोडेंट्स के खाते दर्ज कर दी। जिससे मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया। वक्त बंटवारा प्रपत्र तैयार करने के दौरान अपीलांट्स को किसी प्रकार की सूचना नही दी गई एवं रेस्पोडेंट्स ने मनमर्जी से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया है। वाद वर्णित कृषि भूमि का बंटवारा पूर्वजो के समय से हो चुका है और जिसमे अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का विभाजन, विभाजन प्रस्ताव में नही कर रेस्पोडेंट्स ने अच्छी भूमि अपने खाते मे दर्ज करवा दी तथा अपने हिस्से से ज्यादा भूमि बंटवारे में प्राप्त कर ली है जबकि मौके पर अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स का समान हित, हिस्सा व कब्जा है। अपील अपीलांट स्वीकार कर अ[illegible] दिनांक 14.05.2016 न्यायालय, तहसीलदार बागीदौरा, जिला बॉसवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकार अधिनियम, एवं नामान्तरकरण सं. 318 दि. 14.05.2016 निरस्त फरमावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.02.14 11:45:34 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

एवं अधिनस्थ न्यायालय को विधिवत नियमानुसार विभाजन करने एवं तदनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने के आदेश प्रदान करे।

रेस्पोडेंट सं. 1 व 3 के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट सं. 2 के अधिवक्ता ने कथन किया कि राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान में अपीलांट्स एवं सभी रेस्पोडेंट ने अपनी आपसी सहमति से मौके पर काबिज अनुसार प्रत्येक खातेदार कृषक को सर्वे नंबर सहित राजीनामा प्रस्तुत कर बंटवारा किया है। जो विधिनुकूल है। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान में आवेदन कर अपीलांट्स एवं सभी रेस्पोडेंट ने अपने अपने हस्ताक्षर किये इसके बाद तहसीलदार बागीदौरा द्वारा बयान लेखबद्ध कर सभी अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट के हस्ताक्षर करवाये है। प्रत्येक खातेदार ने राजीनामा एवं आपसी सहमति से बंटवारा किया जाना स्वीकार किया है। इस प्रक्रिया के पश्चात् आपसी सहमति से खातेदारी भूमि का विभाजन पत्र अपीलार्थी, रेस्पोडेंट्स नं.1 से 3 की आराजीयान का विवरण सहित तैयार किया। जिस पर अपीलार्थीगण ने अपनी सहमति के हस्ताक्षर किये है। इस प्रकार यह बंटवारा आपसी सहमति से हुआ है। अपीलार्थी द्वारा लगभग 6 वर्षो के पश्चात् यह मिथ्या, कालातीत व विधि विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है जो अपास्तनीय होकर खारिज किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट सं. 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत आदेश क्रमांक / 2016 / 55–56 दिनांक 14.05.2016 न्यायालय, तहसीलदार बागीदौरा, जिला बॉसवाडा, अन्तर्गत धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकार अधिनियम, एवं उक्त आदेश की अनुपालना में दर्ज नामान्तरकरण सं. 318 दिनांक 14.05.2016 विधि सम्मत है। अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करने के विनिश्चय के पश्चात् उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स सं.1 से 3 द्वारा राजस्व [illegible] द्वार अभियान में तहसीलदार बागीदौरा के समक्ष सह [illegible] बंटवारा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधिनस्थ [illegible] में आपसी सहमति से खातेदारी भूमि का विभाजन पत्र संलग्न है जिस पर स[illegible] खातेदारो के हस्ताक्षर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.02.14 11:45:34 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

पत्रावली में बयान भी लेखबद्ध है जिसमे बंटवारे पर सहमति जाहिर की गई है। तहसीलदार बागीदौरा द्वारा आदेश क्रमांक/ 2015/ 55–56 दिनांक 14.05.2016 पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र उनके कथन एवं बंटवारा फेहरिस्त के आधार पर नियमानुसार विभाजन स्वीकृत किया है। उक्त आदेश की अनुपालना में दर्ज नामान्तरकरण सं. 318 दिनांक 14.05.2016 विधि सम्मत है। जिसमे कोई विधिक भूल नही की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलाधीन निर्णय मे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन तहसीलदार तहसील बागीदौरा का बंटवारा आदेश क्रमांक/ 2015/ 55–56 दिनांक 14.05.2016 एवं उक्त आदेश की अनुपालना में दर्ज नामान्तरकरण सं. 318 दिनांक 14.05.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/02/2023

(नरेश बुनकर)
अति.जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.02.14 11:45:34 IST
Reason: SelfAttested